

## न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रार्थना पत्र / 19 / 52

आसमीना पत्नी मरदान जाति मेव निवासी लावना तहसील पहाडी जिला भरतपुर

..... प्रार्थी

बनाम

आमीन पत्नी मरदान जाति मेव निवासी जैमत तहसील पुन्हाना जिला नुहू हरियाणा

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अंतर्गत धारा 235 राज0 टी0 एक्ट विरुद्ध  
उपखण्ड अधिकारी पहाडी श्री रामरतन शर्मा मुकदमा उनवानी  
आसमीना बनाम आमीन नं0 333 / 15

आदेश

दिनांक 16.10.2019

अभिभाषक अप्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र एस.डी.ओ पहाडी के विरुद्ध पेश किया है। चूंकि एस.डी.ओ पहाडी का सीनान्तरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिली प्रभावहीन होने से काबिल खारिज के है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिली प्रभावहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डा. जोगा राम)  
जिला कलक्टर  
भरतपुर